न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी –संजय शर्मा

जी.सी.एम.एस. संख्या 2024/180
रेफरेन्स प्रकरण संख्या 27/2024

सरकार जरिये तहसीलदार (लेण्ड होल्डर) सवाई माधोपुर — तारीख रजू. 19.09.2024

बनाम

1. नाथू पुत्र हरि मीना निवासी ग्राम जीनापुर तहसील सवाई माधोपुर।
2. शंकर पुत्र हरि मीना निवासी ग्राम जीनापुर तह. सवाई माधोपुर।
3. चर्तुभुज पुत्र रामप्रसाद मीना निवासी ग्राम जीनापुर तह. सवाई माधोपुर।
4. बलराम पुत्र रामप्रसाद मीना निवासी ग्राम जीनापुर तह. सवाई माधोपुर।
5. लटूर पुत्र हरिनारायण मीना निवासी ग्राम जीनापुर तह. सवाई माधोपुर।

उपस्थितिः– पैरोकार सरकार प्रार्थी तहसीलदार की और से
श्री पारस मल जैन एडवोकेट विपक्षीगण की और से

निर्णय

दिनांक 04.11.2025

तहसीलदार (लेण्ड होल्डर) सवाई माधोपुर की ओर से रेफरेन्स प्रकरण अंतर्गत धारा 82 राज. लेण्ड रेवेन्यु एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2023–26 वाके ग्राम जीनापुर के आराजी खसरा नंबर 64 रकबा 08 बीघा 02 बिस्वा सुखपाल पुत्र गजा मीना व लटूर पुत्र हरिनारायण मीना सा0देह खातेदारी के नाम दर्ज रिकार्ड है। नामान्तरकरण संख्या 152 से उक्त खसरा नंबर लटूर, हरि, रामप्रसाद पिसरान सुखपाल हि.ब.हि. 1/2 के नाम खातेदारी दर्ज है। जमाबंदी संवत 2039–42 में लटूर, हरिप्रसाद पिसरान सुखपाल व लटूर पुत्र हरिनारायण जाति मीना साकिन देह हि.ब. के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है जिसे शुद्धिपत्र से लटूर, हरि, रामप्रसाद पि सुखपाल के नाम दर्ज किये जाने का नोट अंकित किया। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2044–47 वाके ग्राम जीनापुर के खसरा नंबर 64 रकबा 08 बीघा 02 बिस्वा लटूर, हरि, रामप्रसाद पिसरान सुखपाल, लटूर पुत्र हरिनारायण जाति मीना साकिन देह हि.ब. के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है जिस पर नामान्तरकरण संख्या 18 से खसरा नंबर 64 रकबा 08 बीघा 02 बिस्वा पर मंदिर श्री गोपाल जी खातेदार के नाम हुई का नोट अंकित है। दौराने सेटलमेंट वाके ग्राम जीनापुर के साबिक खसरा नंबर 64 रकबा 08 बीघा 02 बिस्वा के हाल खसरा नंबर 389 रकबा 0.49 है., [illegible] नंबर 390 रकबा 0.36 है., खसरा नंबर 391 रकबा 1.20 है. कुल 03 किता कुल रकबा 2.05 है. मुताबिक मिलान क्षेत्रफल के सही है। जमाबंदी वाके ग्राम जीनापुर [illegible] 2063 [illegible] रहन द[illegible] जमाबंदी संवत 2077 तक उपरोक्त खसरा नंबर मंदिर श्री गोपाल जी खातेदार रहन दर्ज है। न्यायालय उप जिला कलेक्टर इलाहबाद बैंक शाखा सवाई माधोपुर के नाम खातेदारी दर्ज है। न्यायालय उप जिला कलेक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay
Date: 2025.12.11 10:43:0
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

सवाई माधोपुर में दर्ज मु.नं. 104/2022 उनवान नाथू वगै. बनाम मंदिर गोपाल जी अंतर्गत धारा 88, 90, 91 एवं 188 से प्रतिवादी संख्या 01 (मंदिर मूर्ति गोपाल जी) का नाम का अंकन हटा कर वादीगण के नाम का निर्णय में वर्णित हिस्से के अनुसार दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम का अंकन करने का निर्णय पारित किया एवं तदनुसार डिक्री जारी की गई। न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर से निर्णय पारित होकर डिक्री जारी करने पर प्रार्थी लटूर पुत्र हरिनारायण निवासी जीनापुर द्वारा न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के आदेश की पालना करने बाबत तहसीलदार सवाई माधोपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करने पर आदेश क्रमांक एल.आर./23/5492 दिनांक 26.07.2023 से निर्णयानुसार पालना करने बाबत पटवार हल्का जीनापुर को आदेशित किया गया तत्पश्चात तहसीलदार सवाई माधोपुर के आदेशानुसार नामान्तरकरण संख्या 750 दिनांक 04.08.2023 ग्राम जीनापुर से फैसल दिनांक 14.08.2023 द्वारा ग्राम जीनापुर के आराजी खसरा नंबर 389, 390, 391 किता 03 रकबा 2.05 है. चतुर्भुज पुत्र रामप्रसाद हिस्सा 1/8, नाथू पुत्र हरि हिस्सा 1/8, बलराम पुत्र रामप्रसाद हिस्सा 1/8, शंकर पुत्र हरि हिस्सा 1/8 लटूर पुत्र हरिनारायण हिस्सा 1/2 के नाम सहखातेदारी दर्ज हुई है एवं वर्तमान जमाबंदी संवत 2074–77 (वर्ष 2020) से स्थाई वाके ग्राम जीनापुर में उक्त पूर्व में वर्णित खातेदारों के नाम सहखातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। अतः रेफरेन्स प्रकरण तैयार कर अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश किया गया है।

उक्त रेफरेन्स प्राप्त होने पर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित आए।

विपक्षीगण की ओर से रेफरेन्स का जवाब इस आशय का प्रस्तुत किया कि तहसीलदार (लेण्डहोल्डर) सवाई माधोपुर द्वारा उक्त रेफरेन्स कतई गलत ढंग से विधि विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है कि जो कतई चलने योग्य नहीं है तथा निरस्त किये जाने योग्य है। आराजी पूर्व खसरा नंबर 64 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा ग्राम जीनापुर जो कि हम विपक्षीगण के पूर्वजों के समय से ही हम विपक्षीगण के कब्जे में चली आ रही है अर्थात विपक्षीगण के पूर्वज सुखपाल वल्द गज्या एवं लूण्या वल्द मंगला मीना के नाम खतौनी बंदोबस्त बीस साला संवत 2009 से 2023 में कॉलम नंबर 4 में बतौर खातेदार मुद्दत कदीम के रूप में अंकन हो रहा है कि जो ही बंदोबस्त बीससाला के पहले से ही उक्त आराजी पर काबिज चले आ रहे थे तथा उनकी मृत्यु के पश्चात उनके वारिसान हम विपक्षीगण काबिज चले आ रहे है तथा जागीर रिज्यूम होने के पश्चात उक्त आराजी पर हम विपक्षीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है तथा मंदिर को उक्त आराजी पर कोई भी अधिकार नहीं रहा है। उक्त आराजी का इन्द्राज जमाबंदी संवत 2035–38 तक लटूर, हरि, रामप्रसाद पिसरान सुखपाल 1/2, लटूर पुत्र हरनारायण मीना 1/2 सा. देह हिस्सा बराबर के रूप में दर्ज चलता रहा था। लूण्या द्वारा लटूर पुत्र हरिनारायण को गोद ले लिया था इस कारण लूण्या की मृत्यु के [illegible] उसके हिस्से के सम्बन्ध में राजस्व रिकोर्ड में लूण्या के स्थान पर लटूर पुत्र हरिनारायण का अंकन किया गया था तथा लूण्या के हिस्से पर लूण्या के समय से ही लटूर पुत्र हरिनारायण का कब्जा चला आ रहा है। इस तरह उक्त आराजी हम विपक्षीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की रही है। किन्तु बाद में बिना किसी अधिकार के कतई गलत ढंग से अवैध रूप से क्षेत्राधिकार के बाहर जाते हुए उक्त आराजी को मंदिर के नाम दर्ज कर दिया गया कि जो कतई गलत है। किन्तु उक्त आराजी पर कब्जा लगातार हम विपक्षीगण का ही अपने पूर्वजों

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Shar
Date: 2025.12.11 10:43:05 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

के समय से चलता आ रहा है। मंदिर का उक्त आराजी न तो कभी कब्जा था और न वर्तमान में है। आराजी खसरा नंबर 64 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा ग्राम जीनापुर के वर्तमान सेटलमेंट में नवीन नंबर बन चुके है कि जिनके नवीन नंबर खसरा नंबर 389 रकबा 0.49 है., खसरा नंबर 390 रकबा 0.36 है., खसरा नंबर 391 रकबा 1.20 है. कुल 3 किता कुल रकबा 2.05 है. दर्ज है। पूर्व खसरा नंबर 64 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा ग्राम जीनापुर विपक्षीगण के पूर्वज सुखपाल वल्द गज्जा, लूण्या पुत्र मंगला जाति मीना के नाम बतौर खातेदार काश्तकार के रूप में राजस्व रिकोर्ड खतौनी बंदोबस्त बीस साला संवत 2009 लगायत 2023 में दर्ज है तथा उसमें माफी के रूप में माफी मंदिर गोपाल जी बहतमाम पुजारी घासीलाल वल्द कल्याण बक्श ब्राह्मण का नाम दर्ज है इस तरह विपक्षीगण के पूर्वजों का नाम खतौनी बंदोबस्त संवत 2009 लगायत 2023 में तथा बीस साला में खातेदार कृषक होने के कारण तथा उक्त भूमि माफी के रूप में दर्ज होने के कारण जागीर रिजम्शन एक्ट के प्रभाव में आने के कारण उक्त भूमि खालसा (रिज्यूम) हो जाने के कारण कानूनी रूप से उक्त भूमि पर जो व्यक्ति जागीर रिजम्पशन के समय माफी की भूमि पर बतौर कृषक दर्ज था उसे खातेदारी अधिकार कानूनन प्राप्त हो चुके थे इस कारण विपक्षीगण के पूर्वज सुखपाल वल्द गज्जा, लूण्या वल्द मंगला का नाम बतौर कृषक बंदोबस्त बीस साला संवत 2009 लगायत 2023 में दर्ज होने के कारण तथा काबिज काश्त होने के कारण बाई आपरेशन आफ लॉ खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके थे कि जिस भूमि पर विपक्षीगण के पूर्वजों के समय से ही विपक्षीगण बतौर खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे हैं। सुखपाल वल्द गज्जा, लूण्या वल्द मंगला के पश्चात उक्त आराजी का इन्द्राज सुखपाल के वारिस लटूर, हरि, रामप्रसाद तथा लूण्या के वारिस लटूर पुत्र हरिनारायण के नाम राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी में बतोर खातेदार काश्तकार दर्ज हो चुका था कि जो इन्द्राज लगातार राजस्व रिकोर्ड में चलता रहा। इस तरह उक्त आराजी में विपक्षी संख्या 1 एवं 2 का 1/4 तथा विपक्षी संख्या 3 एवं 4 का 1/4 हिस्सा तथा विपक्षी संख्या 5 का 1/2 हिस्सा है कि जिस तरह ही उक्त आराजी पर विपक्षीगण अपने पूर्वजों के समय से लगातार काबिज चले आ रहे है। उक्त आराजी कभी भी माफी मंदिर की खुद काश्त की आराजी नहीं रही है तथा विपक्षीगण उक्त आराजी के स्वतः ही बाई आपरेशन आफ लॉ जागीर रिजम्शन एक्ट की धारा 9 एवं 12 के तहत भी खातेदार काश्तकार हो चुके थे। राज्य सरकार द्वारा तथा राजस्व मंडल तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी समय समय पर यह निर्धारित किया जाता है कि बंदोबस्त बीस साला अर्थात संवत 2009 लगायत 2023 में माफी की भूमि के सम्बन्ध में कृषक के रूप में यदि किसी का नाम खातेदार कृषक के रूप में दर्ज है तो उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जावेंगें अर्थात उस कृषक की खातेदारी समाप्त नहीं की जा सकेगी। कि माननीय राजस्व मंडल द्वारा परिपत्र जो वर्ष 2007 में जारी हुआ है तथा उसके पश्चात वर्ष 2010 में [illegible] हुआ है कि जिनमें यह स्पष्ट रूप से माना है कि जागीरों के अधिग्रहण के समय [illegible] माफी की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार, पट्टेदार अथवा खादिमदार [illegible] दर्ज थी उनमें उन काश्तकारों को पूर्ण उत्तराधिकार योग्य एवं हस्तांतरणीय अधिकार प्राप्त है ऐसी भूमियों को पुनः मंदिरों के नाम दर्ज किया जाना विधि सम्मत नहीं है राजस्व रिकोर्ड में ऐसे व्यक्तियों का नाम निरन्तर खातेदार के रूप में दर्ज रहेगा। इस तरह उक्त विवादित आराजीयात किसी मंदिर की खुदकाश्त की भूमि नहीं रही है बल्कि जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम की धारा 9 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.12.11 10:43:05 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

अनुरूप अधिनियम लागू होने से पूर्व सुखपाल वल्द गज्जा, लूण्या वल्द मंगला मीना उक्त भूमि पर उपभोक्ता खातेदार के रूप में काबिज काश्तकार था तथा उक्त भूमि मंदिर की खुदकाश्त की भूमि नहीं रही है इस कारण उक्त भूमि पर माफी मंदिर का कोई अधिकार नहीं है बल्कि विपक्षीगण ही उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है कि जो इन्द्राजात लगातार कई वर्षों तक चलते रहे है। विपक्षीगण द्वारा उपरोक्तानुसार अपने अधिकारों को लिये न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर दावा बाबत उद्घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का नाथू वगै. बनाम मूर्ति मंदिर गोपाल जी एवं सरकार जरिये तहसीलदार सवाई माधोपुर प्रस्तुत किया था कि जिसमें न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर द्वारा हम विपक्षीगण अर्थात उस वाद के वादीगण के कथनों तथा दस्तावेजात एवं न्यायिक दृष्टांतों, राज्य सरकार के परिपत्रों तथा विधि के अनुसार वादीगण का वाद मु.नं. 104/22 दिनांक 20.07.2023 को डिक्री कर दिया कि जिसकी पालना में स्वयं रेफरेन्स प्रस्तुतकर्ता तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा नामान्तकरण संख्या 750 उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के निर्णय एवं डिक्री की पालना में दिनांक 14.08.2023 को तस्दीक कर दिया कि जिसका अमल राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी में हो गया। स्वयं रेफरेन्सकर्ता तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर द्वारा वाद मु.नं. 104/2022 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.07.2023 के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के यहाँ सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार सवाई माधोपुर बनाम नाथू वगै. अपील प्रस्तुत की गई थी कि जिसकी अपील संख्या 10/2024 है न्यायालय माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा उक्त अपील को दिनांक 27.01.2025 को खारिज कर दिया तथा न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के प्रकरण संख्या 104/22 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.07.2023 की पुष्टि कर दी। इस तरह न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.07.2023 जिसके जरिये नामान्तरकरण तस्दीक किया गया था अंतिम हो चुका है और जब न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री की पालना में नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है उसके सम्बन्ध में उक्त रेफरेन्स विधिक प्रस्तुत किया ही नहीं जा सकता और न ही चलने योग्य है बल्कि निरस्त होने योग्य है। अतः निवेदन है कि उक्त रेफरेन्स निरस्त फरमाया जावे।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पेरोकार सरकार ने रेफरेन्स प्रार्थना पत्र वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस कर रेफरेन्स स्वीकार करने का निवेदन किया तथा विपक्षीगण की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए उसके आधार पर रेफरेन्स निरस्त करने का निवेदन किया तथा वकील विपक्षीगण द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2024 पार्ट 1 पेज 359, आर.आर.डी. 2018 पेज 688, सी.जे. 2024(3) सिविल राज. पेज 1780 प्रस्तुत किये गये।

बहस उभय पक्ष सुनने, पत्रावली पर उपलब्ध रेफरेन्स प्रा[illegible] एवं जवाब तथा दस्तावेजात एवं विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत न्यायि[illegible] इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि दौराने बहस वकील विपक्षी[illegible] संवत 2009 से 2023 तथा जमाबंदी संवत 2015 से 18 एवं न्यायालय राजस्व अपील प्र[illegible]कारी सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 27.01.25 की छायाप्रति प्रस्तुत की जिसमें सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार सवाई माधोपुर की अपील को न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.12.11 10:43:05 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

अपील तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के मु.नं. 104/2022 निर्णय दिनांक 20.07.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी। जो दावा विपक्षीगण का न्यायालय उप जिला कलेक्टर द्वारा डिकी किया गया था। न्यायालय उप जिला कलेक्टर द्वारा पारित निर्णय एवं न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि विपक्षीगण द्वारा आराजी पूर्व खसरा नंबर 64 रकबा 08 बीघा 02 बिस्वा वाके ग्राम जीनापुर जो कि पूर्वजों के समय से ही विपक्षीगण के कब्जे में चली आ रही है अर्थात विपक्षीगण के पूर्वज सुखपाल पुत्र गज्या एवं लूण्या वल्द मंगलया मीना के नाम खतौनी बंदोबस्त बीस साला के नाम संवत 2009–23 के कॉलम नंबर 4 में बतोर खातेदार मुद्दत कदीम के नाम का अंकन हो रहा है तथा जागीर रिज्यूम होने के पश्चात उक्त आराजी को विपक्षीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। विवादित आराजीयात किसी मंदिर की खुदकाश्त की भूमि नहीं रही है बल्कि जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम की धारा 9 के तहत अधिनियम लागू होने से पूर्व सुखपाल पुत्र गज्या लूण्या वल्द मंग्ल्या मीना उक्त भूमि पर उपभोक्ता खातेदार के रूप में काबिज काश्तकार थे तथा उक्त भूमि मंदिर की खुदकाश्त की भूमि नहीं रही है इस कारण उक्त भूमि पर मंदिर का कोई अधिकार नहीं है बल्कि विपक्षीगण ही उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है। इस तरह न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी के आधार पर ही स्वयं तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है तथा स्वयं तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के निर्णय एवं डिकी की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर के समक्ष प्रस्तुत की जो भी निरस्त की जा चुकी है। विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2024(1) पेज 359 के अनुसार निर्णय व डिकी जो अपील योग्य है रेफरेन्स क्षेत्राधिकारिता के अन्तर्गत असामान्य विलम्ब के बाद निर्णय व डिकी को अपास्त नहीं किया जा सकता है तथा आर.आर.डी. 2018 पेज 688 में जो आराजी माफी मंदिर खातेदारी में दर्ज हो कृषक के कॉलम में कृषकों नाम दर्ज हो जागीर पुनर्गहण अधिनियम के पश्चात काबिज काश्तकार स्वयं ही खातेदार हो गये इस कारण रेफरेन्स सारहीन मानते हुए खारिज किया गया है। इस ही प्रकार सी.जे. 2024(3)CJ(Civ.)(Raj.) पेज 1780 के अनुसार 1952 का अधिनियम प्रभाव में आने के बाद हिन्दु मूर्ति सहित जागीरदार के अधिकार समाप्त हो गये तथा भूमि काश्तकार को कृषि हेतु दी गई या यदि भूमि काश्तकार के जरिये काश्त की जा रही थी तो ऐसी भूमि काश्तकार की खातेदारी की भूमि बनी। पूर्ण पीठ द्वारा तारा व अन्य के मामले मे निर्णय पारित किया गया, के अनुसार भी विपक्षीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। ऐसी परिस्थिति में उक्त न्यायिक दृष्टांतों के परिपेक्ष्य में तहसीलदार सवाई माधोपुर प्रस्तुत उक्त रेफरेन्स चलने योग्य नहीं है। अतः तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा प्रस्तुत उक्त रेफरेन्स सारहीन होने के कारण निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 04.11.2025 को खुले न्यायालय में [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharm
Date: 2025.12.11 10:43:05 IST
Reason: SelfAttested

(संजय शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर